आवंटन
अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–2235022003–20
लेखाशीर्षक–2235022004–20

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हापुड़।

संख्याः 1/651 /2013–1/144/2013 लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2013

विषयः भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–14 में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2174/33–3–2013–125/2013 दिनांक–16 अगस्त, 2013 द्वारा अनुदान संख्या–14 आयोजनागत के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि भूख मुक्ति जीवन रक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को साड़ी व बी0पी0एल0 परिवार के वृद्धजन को कम्बल हेतु क्रमशः **₹ 3410000/– व ₹ 1062000/–** इस प्रकार कुल **₹ 4472000/–** (₹ चावालीस लाख बाहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न फॉट के अनुसार जनपद के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि आवंटित की जाती हैं:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किये जाने हेतु योजना के स्वरूप के निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19मार्च, 2013 एवं दिशा निर्देश संबंधी निर्गत शासनादेश सं0–901/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19मार्च, 2013 में उल्लिखित प्राविधानों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार फॉट के अनुसार ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिये यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनैनशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गये दिशा–निर्देशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध करायी जाए।

5– उपरोक्तानुसार संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा आवंटित की गयी धनराशि की सीमा के अन्तर्गत, जनपद के लिए निर्धारित आपूर्तिकर्ता संस्था से शासनादेश दिनांक 19मार्च, 2013 में निहित प्रकिया के अनुसार आपूर्ति लेंगे। आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार धनराशि राजकोष से आहरित कर आपूर्तिकर्ता संस्था को 15 दिन के अन्दर शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार भुगतान करेंगे।

6– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

7– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

Sari Kambal 14 -83 Allotment (13-14)

कृ0पृ0उ0

8— उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या— 14 के अन्तर्गत भूख मुक्त एवं जीवन रक्षा गारन्टी योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक "2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02—समाज कल्याण—200—अन्य कार्यक्रम—03—बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को साड़ी—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन तथा लेखाशीर्षक "2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02—समाज कल्याण—200—अन्य कार्यक्रम—04 बी0पी0एल0 परिवार के वृद्धजन को कम्बल—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा।

9— उक्त योजनान्तर्गत समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

10— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11— किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

12— आपरोक्त आवंटित धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

13— वित्तीय वर्ष 2013—14 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 15.02.2014 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—18 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/651/1/2013 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
2— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
5— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हापुड़।
6— उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
7— मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), मेरठ मण्डल मेरठ।
7— जिला पंचायत राज अधिकारी, हापुड़।
8— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-24/09/2013

प्रेषण संख्या:- 1-651-2013-1-144-2013
आवंटन आदेश संख्या:- 003-144-2013

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनागत-मतदेय)
02 - समाज कल्याण
200 - अन्य कार्यक्रम
03 - बी0पी0एल0 परिवार की महिलाओं को साड़ी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3410000 3410000	3410000 3410000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3410000 3410000	3410000 3410000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौंतीस लाख दस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौंतीस लाख दस हजार

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
शहजाद अहमद अंसारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-24/09/2013

प्रेषण संख्या:- 1-651-2013-1-144-2013
आवंटन आदेश संख्या:- 003-144-2013
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनागत-मतदेय)
02 - समाज कल्याण
200 - अन्य कार्यक्रम
04 - बी0पी0एल0 परिवार के वृद्ध जन को कम्बल

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1062000 1062000	1062000 1062000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1062000 1062000	1062000 1062000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस लाख बासठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस लाख बासठ हजार

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
शहजाद अहमद अंसारी